FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

सुमन बनाम ग्राम पंचायत स्यालोदड़ा वगै0

किस्म मुकदमा अपील विरूद्ध नामान्तरकरण मु0नं0 24 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/1310

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
13-08-2025	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट अधिवक्ता श्री नवीन यादव उपस्थित। प्रार्थना पत्र अपील विरूद्ध नामान्तरकरण बाबत प्रविष्टि क्रम संख्या 48 ग्राम पंचायत स्यालोदडा दर्ज रजिस्टर किया जावे। रेस्पोडेन्टस की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 08.09.2025 को पेश हो। राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
08/09/25	अपीलान्ट अधिवक्ता उप0। रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर से हल्फालिया जवाब पेश हुआ जिसकी नकल वकील प्रतिपक्ष को दिलवायी जाकर शामिल मिसल किया गया। वास्ते तलबी रेस्पोडेन्ट सं0 1 मिसल दिनांक 26/09/2025 को पेश हो।	
26/09/2025	वकुलाय उप0। रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से श्री सुनिल नटवाडिया एड0 ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। वास्ते पेश होने जवाब व बहस प्रा0 पत्र मिसल दिनांक 14/10/2025 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज **न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना** उनवानी सुमन बनाम ग्राम पंचायत स्यालोदड़ा वगै0 वगै मु.सं. 24/2025	नम्बर जो इस में जारी
14-10-2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रकरण में बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस अपीलान्ट अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए प्रार्थना पत्र अपील विरूद्व आदेश दिनांक 24.07.2025 बाबत नामान्तरकरण संख्या 48 ग्राम देवनगर पटवार हल्का स्यालोदड़ा तहसील नीमकाथाना स्वीकार फरमाने का निवेदन किया तथा वकील प्रतिपक्ष ने पेशशुदा इकबालिया जवाब में अंकित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत की गयी अपील स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, पेशशुदा इकबालिया जवाब एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि तन ग्राम देवनगर प0ह0 स्यालोदड़ा अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख0नं0 133 ता 136, 3 की खातेदारी पूर्व में गोविन्दा वल्द बख्तावर कौम सीकारी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के नाम री हैं। उक्त गोविन्दा वल्द बख्तावर ने उक्त भूमि का बेचान हरीराम, गुरूदयाल, दासाराम एवं देवकी पुत्र रामचन्द्र कौम चमार को कर दिया एवं विक्रय लेख के आधार पर जरिए नामान्तरकरण संख्या 89 उक्त खातेदारान के नाम हिस्सेनुसार खातेदारी दर्ज की गयी। विवादित आराजी के खातेदार रेस्पोडेन्ट सं0 2 से उसके हिस्से 1/4 को अपीलान्ट ने जरिए पंजीकृत विक्रय लेख दिनांक 07.07.2025 को खरीद कर लिया तथा अपीलान्ट ने विक्रय पत्र दिनांक 07.07.2025 के आधार पर 1/4 हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण प्रतिष्टि क्रम संख्या 48 दिनांकित 18.07.2025 ग्राम देवनगर ग्राम स्यालोदड़ा प्रशासक द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अभाव में अस्वीकार किया गया हैं। प्रकरण में बेचानकर्ता रेस्पोडेन्ट सं0 2 हरियाणा का मूल निवासी है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के अपीडी/टी.ए./5821/2017/भरतपुर उनवानी सुन्दर बनाम श्रीमती सुलक्षणा वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 07.11.2019 के अनुसार हरियाणा राज्य के अनु0 जाति वर्ग का सदस्य राजस्थान राज्य के अनु0 जाति वर्ग के सदस्य में नही माना जा सकता है। अतः नामान्तरकरण संख्या 48 ग्राम देवनगर ग्राम पंचायत स्यालोदडा दिनांक 24.07.2025 को विवादित मानते हुए खारिज किया जाकर तहसीलदार पाटन को आदेश दिया जाता हैं कि उक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 48 ग्राम देवनगर ग्राम पंचायत स्यालोदडा दिनांक 24.07.2025 को अन्तर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर विवादित पक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 की पालना करते हुए गुणावगुण पर निर्णय विधिसम्मत पारित करें। तहसीलदार पाटन को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर	

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	हो। यह निर्णय आज दिनांक 14.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना	